भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1424

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2025

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्रवाई

1424. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विगत दस वर्षों के दौरान देश भर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जाली जाति प्रमाण-पत्रों के उपयोग के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान देश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के उपयोग के संबंध में सूचना एकत्र की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान कुल कितने फर्जी जाति प्रमाणपत्रों का उपयोग किया गया; और

(ङ) क्या सरकार के पास देश में जाति प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग की निगरानी करने के लिए कोई नोडल एजेंसी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के अंतर्गत किसी जाति/जनजाति को क्रमश: अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में अधिसूचित करने के लिए नोडल एजेंसियां हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दिया जाता है। ऐसे मामलों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।
